

दिनांक 01/12/2020 को पेश है।

सहायक कलेक्टर एवं
अपरअडि अधिकारी, बावडी

12/2020 पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी
दिन के कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर होने से
पत्रावली ईलतुवा होकर दिनांक 23/12/2020
को पेश हो।

23/12/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपर।
तहसीलदार बावडी से मोंका जॉय रिपोर्ट
प्राप्त हुई जो शामिल मिला है।
पत्रावली वाले बहस प्रार्थना पत्र दिनांक
10/01/2021 को पेश है।

सहायक कलेक्टर एवं
अपरअडि अधिकारी, बावडी

01/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपर।
पत्रावली का अबलोकन किया गया। वकील
पार्थी की बहस पर मनन किया गया।
तहसीलदार बावडी से प्राप्त जवाब प्रार्थना
पत्र का अबलोकन करने पर पाया गया है कि
~~वकील~~ पार्थी का वक्त विरासत के नामांतरण
से नाम हैम सिंह दर्ज है तथा इसी नाम
से बेचान किया गया है। बेचान उपरान्त
नाम शुद्धि करने पर राजस्व होने
होने से नाम शुद्धि किया जाना राज हित
में उचित प्रतीत नहीं होता है। राजकोष
होने होने से प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया
जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली क्रमशः शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दायिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
अपरअडि अधिकारी, बावडी

